[22/3/2021]

परिशिष्ट - 1

प्रश्न सं. [क्र. 2304]

क्रमांक– 458/271/ई-टेंडरिंग/प्र.अ./2020–21/6544

कार्यालय प्रमुख अभियंता

जल संसाधन विभाग

जल संसाधन भवन, तुलसीनगर,

दूरभाष 0755–2573438, फेक्स 0755–2552406

email ID - ceproc.encwrd.bpl@nic.in

भोपाल, दिनांक 05.12.2020

प्रति,

उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
जल संसाधन विभाग,
वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल।

विषयः–स्वीकृत सिंचाई योजनाओं की निविदा आमंत्रण के संबंध में।

संदर्भः–(1) माननीय मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन एवं मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विभाग, भोपाल का पत्र क. 1057/मंत्री/ज.सं./2020, दिनांक 21.08.2020 एवं

(2) श्री रामपाल सिंह, माननीय विधायक, सिलवानी जिला रायसेन के पत्र क. 106, दिनांक 16.07.2020, पत्र क. 107, दिनांक 16.07.2020, पत्र क. 108, दिनांक 20.07.2020 पत्र क. 109, दिनांक 20.07.2020 एवं पत्र क. 1110, दिनांक 20.07.2020.

माननीय विधायक श्री रामपाल पाल सिंह द्वारा रायसेन जिले अन्तर्गत सिलवानी विधान सभा क्षेत्र क्र. 143 में जल संसाधन विभाग अंतर्गत विकास कार्य कराये जाने बाबत् अनुरोध किया गया है। इस संबंध में उल्लेखित बिन्दुओं पर कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायसेन से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया जिसका विवरण एवं अद्यतन स्थिति निम्नानुसार हैः–

क.	कार्य का नाम	विभागीय प्रतिवेदन
1.	वीरपुर तालाब	वित्त विभाग द्वारा नियत निविदा सूचकांक की सीमा 3.0 अधिकमित होने के कारण निविदा आमंत्रण की कार्यवाही संभव नहीं हो पा रही है।
2.	बेरखेड़ी जोरावर तालाब	निविदा प्राप्त की जा चुकी है, वित्त विभाग द्वारा नियत निविदा सूचकांक की सीमा 3.0 अधिकमित होने के कारण वित्त विभाग की अनुमति के अभाव में एजेंसी निर्धारण की कार्यवाही संभव नहीं हो पा रही है।
3.	मोहनिया तालाब	वित्त विभाग द्वारा नियत निविदा सूचकांक की सीमा 3.0 अधिकमित होने के कारण निविदा आमंत्रण की कार्यवाही संभव नहीं हो पा रही है।
4.	चरगंवा तालाब	वित्त विभाग द्वारा नियत निविदा सूचकांक की सीमा 3.0 अधिकमित होने के कारण निविदा आमंत्रण की कार्यवाही संभव नहीं हो पा रही है।
5.	मरखेड़ा गुलाब तालाब	वित्त विभाग द्वारा नियत निविदा सूचकांक की सीमा 3.0 अधिकमित होने के कारण निविदा आमंत्रण की कार्यवाही संभव नहीं हो पा रही है।
6.	टेकापार खुर्द तालाब	वित्त विभाग द्वारा नियत निविदा सूचकांक की सीमा 3.0 अधिक्रमित होने के कारण निविदा आमंत्रण करने की कार्यवाही नहीं की गई।
7.	घाटखेड़ी तालाब	योजना के प्रशासकीय स्वीकृति प्रकरण में मुख्य अभियंता बोधी भोपाल के कार्यालय के पत्र क. 4005/743/नहर/बोधी भोपाल दिनांक 22.10.2020 द्वारा ली गई आपत्तियों का निराकरण संभागीय कार्यालय द्वारा किया जा रहा है।
8.	जमुनिया गोडाखोह तालाब	योजना के प्रशासकीय स्वीकृति प्रकरण में मुख्य अभियंता बोधी भोपाल के कार्यालय के पत्र क. 4005/743/नहर/बोधी भोपाल दिनांक 22.10.2020 द्वारा ली गई आपत्तियों का निराकरण संभागीय कार्यालय द्वारा किया जा रहा है।
9.	सुनेटी बांध	सुनेटी बांध की साध्यता म.प्र.शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क. एफ–22/1/2016–17/ल.सि./31/613 दिनांक 21.04.2017 के द्वारा रू. 2933.00 लाख की साध्यता स्वीकृति प्रदान की गई थी। मुख्य अभियंता चम्बल बेतवा कछार, जल संसाधन विभाग, भोपाल के पत्र क. 73/डी–8/आर–208/का/चं.बे./2018 दिनांक 09.04.2018 के द्वारा सुनेटी तालाब का निरस्तीकरण प्रस्ताव प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग, भोपाल को निर्धारित प्रपत्र–151 में तैयार कर प्रेषित किया हैं।

Mirror
DM
22/12

10.	पापड़ा टेंक (सिलवानी)	सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर।
11.	रायपानी बैराज (सिलवानी)	योजना के प्रशासकीय स्वीकृति प्रकरण में प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग भोपाल के पृ.क. 373/08/52/2020 भोपाल दिनांक 03.10.2020 में ली गई आपत्तियों का निराकरण संभागीय कार्यालय द्वारा किया जा रहा है।
12.	धौलपुर बैराज (बैगमगंज)	योजना के प्रशासकीय स्वीकृति प्रकरण में प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग भोपाल के पृ. क. 373/08/111/2020 भोपाल दिनांक 03.10.2020 में ली गई आपत्तियों का निराकरण संभागीय कार्यालय द्वारा किया जा रहा है।
13.	सुनेहरा बैराज (बैगमगंज)	योजना के प्रशासकीय स्वीकृति प्रकरण में प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग भोपाल के पृ. क. 373/08/110/2020 भोपाल दिनांक 03.10.2020 में ली गई आपत्तियों का निराकरण संभागीय कार्यालय द्वारा किया जा रहा है।
14.	नागपुरा – नगझिरी तालाब जलाशय के डूब प्रभावितों के व्यवस्थापन के संबंध में	नगपुरा नगझिरी जलाशय के डूब क्षेत्र में ग्राम सनाईदार के रामपुर टोला में लगभग 17 मकान स्थित है, जिनमें 27 आदिवारी परिवार निवासरत है। उक्त मकान बांध के पूर्ण भराव क्षेत्र से लगभग 3 फीट से 6 फीट की ऊचाई पर है तथा टोला 3 तरफ से पानी घिरा हुआ है एवं एक तरफ से पंचायत मुख्यालय देवरी हथनापुर से जुड़ा है जो लगभग 2.5 कि.मी. की दूरी पर है जहा आने जाने के लिये कच्चा मार्ग वन विभाग द्वारा निर्मित है, इसी मार्ग से ग्रमीण एवं उनके बच्चे पढ़ाई एवं समस्त कार्यो के लिये आवागमन करते है। रामपुर टोला के उक्त 17 मकान नगपुरा नगझिरी जलाशय के पूर्ण भराव की जल स्तर की लाईन के बाहर है या डूब क्षेत्र में नहीं आते है। इस संबंध में कार्यालयीन पत्र कमांक 360/आर–147/ का–2 दिनांक 05.10.2019 के निर्देशानुसार नगपुरा नगझिरी जलाशय के पूर्ण भराव जल स्तर से बाहर की संपत्ति का मुआवजा/विस्थापन शासन के नियमानुसार नहीं किया जाता है।
15.	झिरिया कोलका बांध का सर्वे करवाने के संबंध में	स्थल निरीक्षण करने पर निम्न बिन्दु पाये गये है– अ. प्रस्तावित बांध क्षेत्र का केंचमेट एरिया बहुत कम है एवं नाले में जल प्रवाह केवल बरसात के समय ही होता है। ब. प्रस्तावित बांध के जल भराव क्षेत्र में वन भूमि अधिक आ रही है। स. प्रस्तावित बांध क्षेत्र बीना नदी पर निर्माणाधीन मडिया बांध परियोजना के जल भराव डूब क्षेत्र के अन्तर्गत आती है।
16.	घाटखेड़ी तालाब	योजना के प्रशासकीय स्वीकृति प्रकरण में मुख्य अभियंता बोधी भोपाल के कार्यालय के पृ.क्र. 146/पी.ई.सी./807/दिनांक 30.05.2020 द्वारा ली गई आपत्तियों का निराकरण संभागीय कार्यालय द्वारा किया जा रहा है।

कृपया अवगत होना चाहेंगे।

(शिरीष मिश्रा) 5/12/20
मुख्य अभियंता (प्रो.)
जल संसाधन विभाग, भोपाल

पृ. क्रं. 458/271/ई–टेंडरिंग/प्र.अ./2020–21/6545 भोपाल, दिनांक 05 दिसम्बर 2020
प्रतिलिपिः–

श्री रामपाल सिंह राजपूत, माननीय विधायक, विधानसभा क्षेत्र क्रं. 143–सिलवानी जिला रायसेन निवास सी–15 शिवाजी नगर भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक– 106, दिनांक 16.07.2020, पत्र क. 107, दिनांक 16.07.2020, पत्र क. 108, दिनांक 20.07.2020 पत्र क. 109, दिनांक 20.07.2020 एवं पत्र क. 1110, दिनांक 20.07.2020 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

(शिरीष मिश्रा) 5/12/20
मुख्य अभियंता (प्रो.)
जल संसाधन विभाग, भोपाल